राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 166 मई 2013

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विभिन्न देशों, समाज, संस्कृतियों और वर्गों में मानव अधिकारों का मूलभूत उल्लंघन है और यह महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रभावित करता है जिससे महिला-पुरुष बराबरी में बाधा आती है। यद्यपि भारतीय संविधान में जिन मानव अधिकारों की गारंटी दी गई है वे अहरणीय हैं और उन पर समझौता नहीं किया जा सकता है फिर भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भारतीय समाज में व्याप्त है।

चूंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत में कोई विशेष कानून नहीं हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में निदेश जारी किया और मार्गनिर्देश के रूप में समाधान के लिए निवारक उपाय और तंत्र निर्धारित किए। इन निदेशों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निबटने के लिए व्यापक विधान बनाया। विधेयक का पुनरीक्षण किया गया और विस्तृत विचार विमर्श के बाद उसका पुनः प्रारूप बनाया गया। अंतिम प्रारूप विधेयक "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषिद्ध विधेयक 2010" 12 फरवरी, 2010 को मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय ने विधेयक को सभा पटल पर रखा और मंत्रालय के स्तर पर अग्रेतर संशोधन किए गए और विधेयक को

चर्चा में — यौन उत्पीड़न विधेयक

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2010" का नाम दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रारूप विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया था कि "कर्मचारी" की परिभाषा में "घरेलू कामगार" को शामिल किया जाए और "कार्यस्थल" में "घर" अथवा "निवास स्थान" को शामिल किया जाए।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 22 अप्रैल, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) विधेयक, 2012, जिसे पहले संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था, को सहमति दी। नए विधान ने घरेलू कामगारों को कानून के दायरे में रखा है।

विधेयक में दिया गया है कि कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक शिकायत समिति का नाम दिया जाएगा और कोई भी पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न की शिकायत उससे कर सकेगी और इसकी जांच 90 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए, ऐसा न होने पर उस पर दंड लगाया जाएगा।

विधेयक में प्रावधान है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों, निवास स्थानों और घरों में घरेलू कामगारों के रूप में नियुक्त किसी भी आयु की महिला को संरक्षण दिया जाएगा। शारीरिक, छेड़खानी और इशारा, यौन क्रिया के लिए मांग अथवा अनुरोध करना, कामुक टिप्पणियां करना अथवा अश्लील साहित्य दिखाना आदि के मामलों में महिलाएं अपनी शिकायतों के समाधान के लिए विधेयक के अनुसार शिकायतें कर सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

- डॉ. चारू वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर पुरी, ओड़िशा में मालतीपुर में "एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की रहस्यमय मृत्यु" की जांच की थी।
- डॉ. चारू वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर सुन्दरगढ़ जिला, ओड़िसा में अमापदा गांव में "जादू-टोने के लिए ओड़िसा में जनजातीय महिलाओं को नग्न घुमाया गया" रिपोर्ट की जांच की।

महत्वपूर्ण निर्णय

- मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक मुम्बई निवासी को अपनी सम्बन्ध विच्छेद पत्नी को अधिक भरण-पोषण राशि देने को कहा है क्योंकि उसके वेतन में बढ़ोतरी हुई है। न्यायालय ने कहा है "चूंकि इस कारण से पति की आय में 2 लाख से 3 लाख रुपए का इज़ाफा हुआ है, इसलिए यह उपयुक्त होगा यदि पत्नी को दी जाने वाली भरण-पोषण राशि में भी अनुपातः वृद्धि हो।"
- मुम्बई उच्च न्यायालय ने विनिर्णय दिया कि एक विधवा महिला का यह अधिकार है कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात् उसका भरण-पोषण उसके ससुर करें। न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया कि विधवा का उस फ्लैट में एक तिहाई अधिकार होगा जिसे उसके पति ने खरीदा था। चूंकि उसके पति को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति का एक भाग विरासत में मिलता तो उसे भी ऐसी सम्पत्ति का आधा भाग मिलने का अधिकार है, दूसरा आधा हिस्सा विधवा की बेटी को मिलेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हुडको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रीय महिला आयोग और हुडको में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसके द्वारा ये दो संगठन अपनी-अपनी शक्ति निराश्रित महिलाओं की रहने की स्थिति को सुधारने और महिलाओं के हॉस्टल, रिमांड होम और जहां कहीं भी महिलाएं हिरासत में हों, वहां सुविधाओं को उन्नत करने में लगाएंगी। समझौते के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है और हुडको इसके लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी समर्थन और डिजाइन उपलब्ध करायेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सचिव के. रत्ना प्रभा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हुडको वी.पी. बालिगर, केन्द्रीय मंत्री अजय माकन, महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

लड़कियों के लिए शरण गृहों पर निगरानी

- जयपुर में हुए एक मामले के परिणामस्वरूप, जिसमें कथित तौर पर एक गैर सरकारी संगठन आवाज़ फाउंडेशन के स्टाफ द्वारा पांच बधिर और मूक लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था और उनकी पिटाई की गई थी, अध्यक्षा ने रिपोर्टरों को कहा कि वह सभी राज्यों के महानिदेशकों को देश में लड़कियों के लिए शरण गृहों के कार्य की जांच करने और उनके कार्य पर निरंतर निगरानी रखने के लिए पत्र लिखेंगी।
- अध्यक्षा ममता शर्मा ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से "प्रभावी सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों और कॉलेज के विद्यार्थियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता" पर आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिससे महिलाओं पर होने वाली हिंसा रोकी जा सके और महिला-पुरुष बराबरी के लिए कार्य किया जा सके। सदस्या शमीना शफीक भी इस अवसर पर बोली।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा "महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता" पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी।
- अध्यक्षा अलवर गई और वहां महिलाओं पर हुए अत्याचार और अपराधों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से चर्चा की।

अध्यक्षा दीप प्रज्वलित करती हुई। सदस्या श्रीमती शमीना शफीक उनकी दाहिनी ओर हैं

राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल

10 मई को सदस्या हेमलता खेरिया ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जेल में एक महिला वार्ड का उद्घाटन किया। इससे पहले जब वह जेल गई थी तो उन्होंने देखा कि महिला कैदियों को दो छोटे कमरों में रखा हुआ था जिसमें एक शौचालय भी था। उन्होंने जोरदार शब्दों में सिफारिश की कि महिला वार्ड का प्राथमिकता के आधार पर पुनरुद्धार किया जाना चाहिए ताकि महिला कैदियों को आगे और असुविधा न हो। वह महिला कैदियों के चेहरे पर संतोष का भाव देखकर प्रसन्न हुई। उन्होंने विशेष तौर पर श्री अशोक उपाध्याय, उप जेल अधीक्षक की प्रशंसा की जिन्होंने महिला वार्ड को उन्नत करने में रुचि दिखाई थी। यह उनकी पहल और कैदियों के लिए चिंता के कारण हुआ जिसकी वजह से महिला वार्ड का केवल दो महीनों में पुनरुद्धार किया गया था।

सदस्या हेमलता खेरिया ने महिला वार्ड का उद्घाटन किया। जिला जज और जेल अधीक्षक देख रहे हैं।

पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा करना

राजधानी में महिलाओं और युवा लड़कियों के साथ बलात्कार और उनके विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा की भयावह घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपने नवगठित विशेष अध्ययन विशेषज्ञ समिति और बलात्कार, मानव व्यापार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर विशेष कृतिक बल के तत्वाधान में असुरक्षा और संरक्षण ढांचा का अध्ययन करने और पुलिस-जनता के संबंध में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक विशेष और आपात बैठकें आयोजित की गई। हाल ही में नई दिल्ली में पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा करने में परामर्श के दौरान दिल्ली में 180 पुलिस थानों के दो प्रतिनिधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ के 20 प्रतिनिधियों और सशस्त्र बटालियनों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों और अन्य वक्ताओं के साथ

अपने स्वागत भाषण में सुश्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने महिला शिकायतकर्त्ताओं द्वारा दायर प्रत्येक प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया और इस बात को दोहराया कि पुलिस अपने हाथों में कानून को नहीं ले सकती है जैसा कि हाल ही में 5 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के मामले में हुआ था।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक राज्य के डिवीजनल मुख्यालय में इस तरह के परामर्श समय-समय पर आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि प्राथमिकी समय पर दायर की जाए, एक समय सीमा के अंदर द्रुत न्यायालय में मामला चलाया जाए और प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए।

सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने कहा कि पुलिस का संवेदनशील होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस स्टेशनों में की जाने वाली 80 प्रतिशत शिकायतें घरेलू हिंसा और वैवाहिक वैमनस्य की होती हैं। इस अवसर पर बोलने वाले अन्य वक्ताओं में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक, हेमलता खेरिया, डॉ. चारू वलीखन्ना और शंकर सेन और मार्कंड प्रताप सिंह शामिल थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की विशेष अध्ययन विशेषज्ञ समिति और विशेष कृतिक बल ने भी महिला संवेदनशील पहल पर उत्तर रेलवे से एक और परामर्श किया क्योंकि भारतीय रेलवे सरकार का सबसे बड़ा स्कन्ध है जो देश में महिलाओं, परिवारों और बच्चों के एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक समूह की सेवा कर रही है।

दलित महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली में दलित महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ और श्री पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हुआ।

सदस्या हेमलता खेरिया श्रीमती कृष्णा तीरथ को एक स्मृति चिह्न भेंट करती हुई जबकि सदस्या शमीना शफीक, श्री पी.एल. पुनिया, सदस्या चारु वलीखन्ना और सदस्य सचिव के. रत्ना प्रभा देख रही हैं।

श्रोता समूह का स्वागत करते हुए सदस्या हेमलता खेरिया ने प्रत्येक स्तर पर - शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, जमीन पर अधिकार, पानी और सफाई और राजनीति में भाग लेना के मामलों पर दलित महिलाओं के प्रति दिखाई जाने वाली उदासीनता और भेदभाव पर जोर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने अपने भाषण में दलित महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया और उनके सशक्तिकरण के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री पी.एल. पुनिया ने इस बात पर जोर देकर कहा कि विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और अत्याचार बढ़ रहे हैं और उन्होंने इन समस्याओं से निबटने के लिए न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील बनाने का सुझाव दिया।

महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि सरकार दलित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रही है ताकि वे गरिमा और आदर के साथ रह सकें। उन्होंने कहा कि सरकार दलित महिलाओं को सभी आवश्यक समर्थन देने के लिए "एकल संकट केन्द्र" की स्थापना पर विचार कर रही है।

सम्मेलन में दलित महिला नेताओं, विद्वतजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाषण दिया जिन्होंने उन मुद्दों और प्रथाओं पर बोला जो दलित महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण की राह में बाधा बनते हैं।

❖ डॉ. चारु वलीखन्ना ने नई दिल्ली में भारत के लिए समाज संरक्षण मंच पर संयुक्त युनाइटिड नेशंस अध्ययन के निष्कर्षों के प्रसार के कार्यक्रम में भाग लिया।

● डॉ. वलीखन्ना चंड़ीगढ़ गई और पंजाब राज्य महिला आयोग के साथ चर्चा की। बाद में वह दलित चिंतन सभा में सम्माननीय अतिथि बनी। ● डॉ वलीखन्ना ने शिमला के कांडा में आदर्श सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक, अधिकारियों और महिला कैदियों से मुलाकात की। 26 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ एक विशेष आपात बैठक की। ● डॉ. वलीखन्ना 9 मई को नई दिल्ली में एस.जे.वी.एन. द्वारा आयोजित महिला संवेदनशीलता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध विशेषकर बलात्कार/यौन दुराचार होने की स्थिति में पुलिस, फेशेवर डॉक्टरों, वादी पक्ष, न्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता और मीडिया आदि के लिए सेवा प्रदाता हेतु मार्गनिर्देशकों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री श्री एस.के शिन्दे से मुलाकात की और उसकी एक प्रति उन्हें दी। बाद में वह

डॉ. चारु वलीखन्ना श्रोताओं को संबोधित करती हुई

महिलाओं के विरुद्ध जाति संबंधित हिंसा पर चर्चा करने के लिए कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से मिली। ● सदस्या नई दिल्ली में जीके-II वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित "महिलाओं के विरुद्ध अपराध : पूर्वोपाय और कार्रवाई" में मुख्य अतिथि थी।

❖ 3 मई, 2013 को सदस्या शमीना शफीक ने महिला मुद्दों पर विल्टन पार्क एक्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ दि फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के चीफ एक्जीक्यूटिव मिस्टर रिचर्ड बर्ग से चर्चा की।

● सदस्या उत्तर प्रदेश में ताजपुर, सिंबलक्स, शामली जिला में आयोजित सर्व समाज एकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। ● श्रीमती शफीक शकीरपुर गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कानुन जागरूकता कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या ने उत्तर प्रदेश के खैराबाद में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। ● सदस्या लॉर्ड जस्टिस थोर्पे, इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए इंटरनेशनल फेमिली जस्टिस के प्रमुख द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के साथ सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित "इंटरनेशनल फेमिली लॉ इंक इंटरनेशनल पेरेन्टल चाइल्ड रिमूवल" पर संगोष्ठी में उपस्थित हुई। ● सदस्या नैनीताल में सेंट मेरी कानवेंट स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि थी और बाद में उन्होंने रानीखेत में जिला अलमोड़ा के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ● सदस्या नैनीताल के भीमताल जिले में घरेलु हिंसा पर सेमिनार जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने किया था, में उपस्थित हुई।

श्रीमती शमीना शफीक (बायें) राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी के साथ

❖ सदस्या हेमलता खेरिया चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज गई और विद्यार्थियों को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों के बारे में बताया।

● सुश्री खेरिया राजस्थान के बदीसद्री सब-डिवीजन के केवलपुरा और संगेरिया ग्राम पंचायत भी गई और दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों के लिए शिक्षा, शौचालयों की उपलब्धता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने मीडिया में महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन पर निषेध और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी) की भूमिका पर चर्चा में भाग लिया, जिसमें सीईओ, सीबीएफसी और एकता कपूर भी उपस्थित थे। श्रीमती प्रभावलकर ने सीबीएफसी की निगरानी भूमिका पर प्रश्न किया क्योंकि फिल्मों और विज्ञापनों में आपत्तिजनक विषय और महिलाओं को बदनाम करने वाले आइटम गाने दिखाए जा रहे हैं।

● उन्होंने नई दिल्ली में "मानव अधिकारों पर कार्यकारी ग्रुप" के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग नियमित रूप से महिला जेल, मेंटल होम्स, सुधार केन्द्रों का दौरा करता है क्योंकि महिला अधिकार भी मानव अधिकार हैं। ● 3 मई को सदस्या राज्य में लड़कियों के अनुपात में सुधार करने और सेक्स चुनिंदा गर्भपात को रोकने में परामर्शदात्री बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए मुम्बई में पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1993 पर राज्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में उपस्थित हुई। ● वह एसिड आक्रमण की पीड़िता प्रीति राठी से मिलने मसीना अस्पताल गई और उसे वित्तीय और डॉक्टरी सहायता दी। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने और एसिड की बिक्री पर रोक लगाने अथवा विनियमित करने की मांग की। ● सदस्या ने विद्यार्थियों और राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ महिला संवेदनशीलता कार्यक्रम के लिए संयुक्त कार्यवाही योजना पर चर्चा करने के लिए मुम्बई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से मुलाकात की। ● वह राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियन सुश्री मनीषा चौहान से भी मिली जो सिर पर चोट लगने के बाद आईसीयू में भर्ती है और उसे उसके पुनर्वास हेतु और मेडिकल खर्चे के लिए भी हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।